झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

संo : 21-NHM(HD)-12-04/2025 28(21) राँची, दिनांक 02.03.2026

सर्पदंश के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा Mission Steering Group (MSG) के माध्यम से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (National Centre for Disease Control) अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP&SE) 2030 "National Action Plan for Prevention & Control of Snakebite Envenoming from India by 2030" (NAPSE) शुरू की है। इसका लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को आधा (50%) करना है।

2. भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सर्पदंश से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में प्रति वर्ष 3–4 मिलियन सर्पदंश के मामले में अनुमानित लगभग 58,000 मौतें सर्पदंश से होती हैं। सर्पदंश का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण व जनजातीय समुदायों और कृषि श्रमिकों पर होता है। झारखण्ड राज्य में मानसून की बारिश और उमस भरी गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के मामले अचानक बढ़ जाती है। झारखण्ड राज्य में अभी भी ग्रामीण समुदाय में साँप के काटने पर कई बार लोग झाड़–फूक, नीम–हकीम द्वारा उपचार, जादू टोना, पारंपरिक ओझाओं तथा धार्मिक व्यक्तियों के पास चले जाते हैं जो झारखंड में सांप के काटने से होने वाली मौतों में वृद्धि के लिए एक बड़ी चुनौती है।

28(21)
02.03.26

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Snake Bite Prevention & Control कार्यक्रम की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2024–25 से की गयी है इसके अन्तर्गत सर्पदंश से होनेवाले आकस्मिक घटनाओं के बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में Anti Snake Venom Injection की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है ताकि अस्पताल में आनेवाले सर्पदंश से पीड़ित मरीजों का ससमय इलाज किया जा सके। राज्य में 2024–25 में अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के अनुसार Snake Bite Prevention & Control (SBPC) कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों का सर्पदंश से बचाव तथा उपचार से संबंधित National Snakebite Management Protocol एवं सर्पदंश होनेवाले प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्तर पर जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

4. सर्पदंश के मामले तथा मृत्यु को "अधिसूचित रोग" घोषित करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्राप्त अर्द्धसरकारी पत्रांक–D.O. No. ISCP/57155/06/DZDP/ NCDC दिनांक–17.11.2024 के आलोक में "सर्पदंश के मामले एवं मृत्यु" ("Snakebite Cases & Deaths") को Clinical Establishment Registration & Regulation Act, 2010 या State Public Health Act or Nursing Home Act के अन्तर्गत Notifiable Disease करने का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्राप्त D.O. letter के आलोक Snake Bite cases & deaths को Clinical Establishment Registration & Regulation Act 2010 या State Public Health Act or Nursing Home Act के अन्तर्गत Notifiable Disease करने का उल्लेख किया गया है। Notifiable Disease के अन्तर्गत Snake Bite Prevention & Control Program द्वारा suspected & probable snake bite विहित प्रपत्र में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान (मेडिकल कॉलेज सहित) एवं निजी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा Snake bite संबंधित प्रतिवेदन District Health Authority असैनिक शल्य–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन को भेजा जाना अनिवार्य होगा। साथ ही

Scanned with OKEN Scanner

Prevention & Control हेतु strong surveillance तथा disease reporting system सभी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा किया जाएगा। सभी सर्पदंश के मामले तथा मृत्यु से संबंधित डाटा संधारण कार्य IDSP-IHIP Portal पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

5. सर्पदंश के सभी निदान किए गये मामलों की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जायेगी ताकि शीघ्र हस्तक्षेप और प्रभावी रोग प्रबंधन सुनिशिचित किया जा सके।

6. इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु सर्पदंश के सभी मामलों की सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध रहना आवश्यक है। उपलब्ध सूचनाओ के आधार पर सर्पदंश से मृत्यु की रोकथाम हेतु अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि की नीतियों का निर्धारण संभव हो सकेगा एवं राज्य में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अनुसंधान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जायेगी।

7. इस हेतु सभी अस्पताल (सरकारी, गैर सरकारी,निजी, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, रेलवे,आर्मी, आयुष सहित) पैथोलोजिकल, क्लीनिकल और रेडियोलोजिकल लैब्स, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, नैदानिक उपचार प्रदान करने वाले तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थान अनिवार्य रूप से निदान किए गए मामलो का सिविल सर्जन को पाक्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं एवं 20वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से देगें। सर्पदंश की सूचना देने वाले प्रत्येक संस्थान के स्तर पर एक पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें सभी आवश्यक सूचनाएँ नियमित रूप से अंकित करते हुए उक्त पंजी को अद्यतन रखा जाएगा।

राज्य के प्रत्येक जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को अपने जिले में अवस्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभाग को अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। (परिशिष्ट–1)

कालक्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा ऐसे ऑकड़ों के संग्रहण हेतु ऑनलाईन ऑकड़ा संधारण, संग्रहण, विश्लेषण आदि की सुविधा विकसित की जाएगी।

98(21)
12.03.26

8. यह अधिसूचना सभी क्षेत्रों–सरकारी एवं निजी गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और निजी मेडिकल कॉलेजों सहित समस्त चिकित्सा संस्थानों पर लागू होगा।

9. उपर्युक्त के आलोक में "सर्पदंश के मामले एवं मृत्यु" को Notifiable Disease घोषित किया जाता है।

10. उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक–04(21) दिनांक–16.01.2026 के क्रम में दिनांक–05.02.2026 को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

11. इस संबंध में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगें।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

DRL

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

झापाकः– 21-NHM(HD)-12-04/2025 28(21) राँची, दिनांक 02.03.2026

प्रतिलिपिः विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव सह–नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

झापाकः– 21-NHM(HD)-12-04/2025 28(21) राँची, दिनांक 02.03.2026

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित अंक की 200 (दो सौ) प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अपर मुख्य सचिव

झापाकः– 21-NHM(HD)-12-04/2025 28(21) राँची दिनांक 02.03.2026.

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँधी/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नामकुम, राँची/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड/निदेशक, रिम्स, राँची/निदेशक, रिनपास, काँके, राँची/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉची/सभी संबंधित निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/ सभी सरकारी एवं निजी गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और निजी मेडिकल कॉलेजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

Monthly Report

Snakebite Cases & Deaths: Notifiable Disease Notification

Period of reporting From ……/……. /……To……../……../……..

Name of the Health Facility/Practitioner/Laboratory……

Registration Number ……Telephone (With STD)……..Mobile Number…… …….

Complete Address:-……..

Sl. No.	Name of Patient/ID of Patient	Age (Yrs)	Sex (M/F/O)	GOI issued identification number (Aadhar , Pan, etc) if available	Complete residential Address	Patient phone number	Date of Snakebite	Date & Time of Snakebite treatment initiation	Date of Death from Snakebite

Date……/……/……

Signature……

Name:-

Stamp with Seal……

Scanned with OKEN Scanner